छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 सहपठित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 के परिपालन में छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन दिनांक 04.01.2011 को किया गया, जिसके द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु कार्य किया जाता है।
- **असंगठित कर्मकार का आशय है –**
  - स्वनियोजित कर्मकार,
  - घरों में काम करने वाले,
  - मजदूरी पर नियोजित,
  - कृषि श्रमिक अथवा भूमिहीन या सीमान्त कृषक
  - असंगठित क्षेत्र के कर्मकार, जिनकी मासिक आय शहरी क्षेत्र में 15 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार से कम हो।
- **निम्न अधिनियम की परिधि में आने वाले कर्मकार असंगठित कर्मकार नहीं होंगे –**
  - कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
  - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
  - कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  - मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
  - उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
- **मंडल के कार्य**
  - असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए राज्य शासन को अनुशंसा करना।
  - अधिनियम के संचालन हेतु राज्य शासन को सलाह देना।
  - असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
  - जिला स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की समीक्षा।
  - असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, स्मार्ट कार्ड आदि की समीक्षा।
  - विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत व्यय की समीक्षा।
  - राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व निर्वहन।
- छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, मृत्यु एवं दिव्यांगता, प्रसूति, कौशल उन्नयन आदि के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।